दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा - 2021 के लिए आंतरिक मूल्यांकन पर आधारित अंकों की गणना/सारणीयन के लिए दिशा निर्देश

1 **पृष्ठभूमि**

देश में कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर, सीबीएसई द्वारा 14.04.2021 की अधिसूचना के जरिये 4 मई से 7 जून, 2021 तक दसवीं कक्षा के लिए होने वाली बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया था कि:

(a) कक्षा 10 वीं का परिणाम बोर्ड द्वारा सुझाए गए वस्तुनिष्ठ मानदंड के आधार पर तैयार किया जाएगा और

(b) जो भी उम्मीदवार आवंटित अंकों से संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें परीक्षा आयोजित किए जाने योग्य अनुकूल परिस्थितियों बनने पर आयोजित परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा।

2 **हमारे समाने चुनौती**

महामारी की स्थिति में, छात्रों के लिए समय पर, सटीक और निष्पक्ष परिणाम घोषित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन हमें विश्वास है कि सीबीएसई की विद्यालय प्रणाली सभी क्रिया कलापों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कड़ी मेहनत करेगी। हम जानते हैं कि हम इस प्रक्रिया को पेशेवराना दृष्टिकोण, अनुरूपता और सावधानी के उच्चतम स्तर के साथ पूरा करने के लिए सीबीएसई से संबद्ध हर विद्यालय के प्रधानाचार्य और प्रत्येक शिक्षक पर विश्वास रख सकते हैं। आइए हम, आपके पेशेवराना और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से, सुनिश्चित करें कि छात्रों और अभिभावकों का अपने परिणामों की सटीकता और निष्पक्षता में विश्वास बना रहे।

3 **पॉलिसी के उद्देश्य**

छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन के यथार्थवादी मूल्यांकन के आधार पर एक निष्पक्ष और पारदर्शी शैक्षणिक विवरण विकसित करना हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इस कार्य को करते समय, मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान मूल्यांकन के चार प्रमुख सिद्धांतों विश्वसनीयता, निष्पक्षता, लचीलापन और वैधता का पालन किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मूल्यांकन सटीक, मान्य और विश्वसनीय है, विद्यालयों के प्रधानाचार्य तथा शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नीचे दी गई मूल्यांकन प्रक्रिया सभी हितधारकों द्वारा स्पष्ट रूप से समझ ली गई है।

छात्रों के मूल्यांकन के लिए प्रक्रिया:

4 छात्रों का प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम 100 अंकों में से मूल्यांकन किया जाएगा। बोर्ड की नीति के अनुसार, 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन के लिए और 80 अंक वर्ष के अंत में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए होते हैं।

5 20 अंकों के लिए आंतरिक मूल्यांकन, 6 मार्च, 2019 को जारी http://cbseacademic.nic.in/web_material/Circulars/2019/11_Circular_2019.pdf पर उपलब्ध, परिपत्र संख्या शैक्षणिक-11/2019 में दी गई मौजूदा पॉलिसी के अनुसार होगा। परिपत्र के आधार पर, विद्यालयों द्वारा आंतरिक मूल्यांकन पहले किया जा चुका है तथा अधिकांश विद्यालयों द्वारा सीबीएसई पोर्टल पर अपना डेटा भी अपलोड कर दिया गया है। यह अनुरोध किया जाता है कि जैसा कि पहले ही सूचित किया जा चुका है सभी विद्यालय आंतरिक मूल्यांकन के अंकों को 11 जून, 2021 तक अपलोड कर दें।

6 बोर्ड परीक्षाओं के रद्द होने के कारण, 80 अंकों का मूल्यांकन स्कूल द्वारा,

(a) वर्ष भर के दौरान आयोजित विभिन्न परीक्षणों/परीक्षाओं में छात्रों द्वारा प्राप्त किए अंकों के आधार पर किया जाएगा ।

(b) यह अंक कक्षा दसवीं की बोर्ड की परीक्षाओं में विद्यालय के विगत वर्षों में प्रदर्शन के अनुरूप होने चाहिए।

रिज़ल्ट कमेटी की संस्थापना

7 प्रत्येक स्कूल परिणाम को अंतिम रूप देने के लिए प्रधानाचार्य और सात शिक्षकों की एक रिज़ल्ट कमेटी बनाएगा। स्कूल के पांच शिक्षकों, गणित, सामाजिक-विज्ञान, विज्ञान और दो भाषाओं के तथा पड़ोस के स्कूलों के दो शिक्षकों को समिति के बाहरी सदस्यों के रूप में स्कूल द्वारा कमेटी में रखा जाना चाहिए। समिति के गठन के नियम, सदस्यों की भूमिका और जिम्मेदारियाँ **अनुलग्नक-I** में दी गई हैं। बाहरी शिक्षकों को बोर्ड द्वारा निश्चित प्रति व्यक्ति रु 2500/- के कुल मानदेय का भुगतान किया जाएगा। समिति के सभी आंतरिक सदस्यों को बोर्ड द्वारा रु 1500/- के कुल मानदेय का भुगतान किया जाएगा। सीबीएसई मानदेय के भुगतान के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल उपलब्ध कराएगा जिससे मानदेय समिति के सदस्यों के खातों में सीधे भेज दिया जाएगा।

मूल्यांकन और साक्ष्यों का रेकार्ड

8 विद्यालय द्वारा आयोजित आंतरिक परीक्षणों/परीक्षाओं में छात्र के प्रदर्शन के साक्ष्यों को छात्र-वार प्रलेखित किया जाए और सुरक्षित तरीके से संभाल कर रखा जाना चाहिए। इन दस्तावेजों को बाद में बोर्ड के निर्देशों के अनुसार सत्यापन के लिए मंगवाया जा सकता है।

9 सीबीएसई के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से स्कूलों से एकत्र की गई जानकारी के अनुसार, स्कूलों ने विभिन्न प्रकार और परीक्षण / परीक्षाएं आयोजित की हैं। मुख्य तौर पर, उपरोक्त परीक्षाएँ आम हैं और मुख्य तौर पर इनका स्कूल-आधारित मूल्यांकन के लिए उपयोग किया जाएगा। परीक्षण/परीक्षा आयोजित करने वाले स्कूलों द्वारा दर्ज अधिकतम अंकों के संदर्भ में मूल्यभार नीचे दिया गया है।

Category of Tests/Exams		**Maximum Marks**
a) Periodic Test/ Unit Test	:	10 Marks
b) Half Yearly/Mid-Term Examinations	:	30 Marks
c) Pre-Board Examinations	:	40 Marks
		80 Marks

10 यदि स्कूल किसी श्रेणी में एक से अधिक परीक्षण/परीक्षा आयोजित कर चुके हैं, तो रिज़ल्ट कमेटी उस श्रेणी के लिए कुल अधिकतम अंकों के अधीन श्रेणी के भीतर प्रत्येक परीक्षण/परीक्षा को दिए जाने वाले भार को नियत कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी स्कूल ने दो या तीन प्री-बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की हैं, तो या तो तीनों परीक्षाओं का औसत लेने का निर्णय लिया जा सकता है या तीन परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को लेने का निर्णय लिया जा सकता है या जैसा उपयुक्त लगे उस आधार पर प्रत्येक परीक्षा को मूल्यभार दिया जा सकता है।

11 कुछ स्कूल ऐसे हैं, जहां परीक्षण/परीक्षा की उपरोक्त तीन श्रेणियों में से एक या अधिक का आयोजन नहीं किया गया है। इसके अलावा परीक्षा के संचालन के तरीके यानी ऑनलाइन / ऑफलाइन के संदर्भ में भी भिन्नता हो सकती है। इसके अलावा, यह भी संभव है कि कुछ छात्र स्कूलों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में से किसी में भी उपस्थित नहीं हुए हों।

12 उपरोक्त सभी मामलों में, स्कूल द्वारा गठित रिज़ल्ट कमेटी को स्कूल में व्याप्त स्थिति के विश्लेषण और अध्ययन के आधार पर इन चुनौतियों का समाधान निकालना होगा और उसके बाद 80 अंकों के मूल्यांकन के लिए एक मानदंड तैयार करना होगा। इसका उद्देश्य यथासंभव रूप से व्यापक मूल्यांकन उद्देश्यों को समाविष्ट करना होना चाहिए। मानदंडों के लिए तर्काधार अच्छी तरह सोचा-समझा, वस्तुनिष्ठ तथा **रेशनेल डोक्यूमेंट (अनुलग्नक-2)** के रूप में विस्तार से बताते हुए कि कैसे 80 अंकों में से स्कूल द्वारा प्रदत्त अंको का निर्धारण किया गया है, प्रलेखित किया जाना चाहिए जहां:

(a) सभी तीनों प्रकार के परीक्षण/परीक्षा नहीं कारवाई गयी है या फिर

(b) अंक निर्धारण के लिए चुनी गयी किसी परीक्षण/परीक्षा में छात्र उपस्थित नहीं हुए हैं

रिज़ल्ट कमेटी को, सभी मामलों में, स्पष्ट रूप से अपने सभी निर्णयों को कारण सहित रेशनेल डोक्यूमेंट में लिखित रूप में दर्ज करना चाहिए।

मूल्यांकन का मानकीकरण

13 चूंकि स्कूल स्तर पर अंक आवंटित किए जाएंगे, इसलिए प्रश्न पत्रों की गुणवत्ता, मूल्यांकन मानक और प्रक्रियाओं, परीक्षाओं के संचालन के तरीके आदि में भिन्नता के कारण इन अंको की तुलना दूसरे स्कूलों से करना श्रेयस्कर नहीं होगा। इसलिए, मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक स्कूल एक विश्वसनीय संदर्भ मानक का उपयोग करके स्कूल के स्तर पर होनी वाली विविधताओं से पार पाने के लिए अंको को आंतरिक स्तर पर ही मॉडरेट करेगा।

a वर्ष 2021 के लिए बोर्ड की पिछले तीन वर्षों की परीक्षा में स्कूल का सर्वश्रेष्ठ समग्र प्रदर्शन स्कूल द्वारा प्रदत्त अंको को मॉडरेट करने के संदर्भ के रूप में लिया जाएगा।

उदाहरण के लिए, यदि एक स्कूल में 2017-18 में छात्रों का कुल औसत 72% है, 2018-19 में 74% है और 2019-20 में 71% है तो स्कूल मॉडरेशन के लिए 2018-19 के विषय-वार औसत का उपयोग करेगा जो की मॉडरेशन के लिए अधिकतम है। चयनित वर्ष विशेष स्कूल के लिए संदर्भ वर्ष होगा। प्रत्येक विषय विशेष के लिए, स्कूल को वर्ष विशेष में उस स्कूल के प्रदर्शन पर आधारित के अंकों के व्यापक वितरण का पालन करना होगा।

b 2021 तक विद्यालय द्वारा मूल्यांकन किए गए विषय वार अंक विशिष्ट संदर्भ वर्ष में विषय में स्कूल द्वारा प्राप्त +/- 2 अंकों की सीमा के भीतर होना चाहिए। हालांकि, सभी 5 मुख्य विषयों के लिए 2021 में मूल्यांकन किए गए स्कूल के लिए कुल औसत अंक, विशिष्ट संदर्भ वर्ष में स्कूल द्वारा प्राप्त समग्र औसत अंकों से अधिक नहीं होना चाहिए।

c यदि किसी स्कूल में केवल दो साल के लिए डेटा उपलब्ध है, तो दो साल में से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को लिया जाएगा और यदि डेटा केवल एक वर्ष के लिए उपलब्ध है, तो इसे लिया जाएगा।

d प्रत्येक विषय में स्कूल के छात्रों द्वारा पिछली बोर्ड परीक्षा में प्राप्त अंक आंतरिक मॉडरेशन के उद्देश्य से लिए गए हैं, क्योंकि यह स्कूल के स्वयं के प्रदर्शन पर आधारित है और इस प्रकार एक विश्वसनीय, निष्पक्ष और सटीक संदर्भ मानक है।

e जिन स्कूलों में छात्र पहली बार दसवीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा में उपस्थित हो रहे हैं और इसलिए कोई ऐतिहासिक डेटा उपलब्ध नहीं है, ऐसे में बोर्ड परीक्षा का पिछले दो वर्षों के प्रदर्शन का जिला, राज्य और राष्ट्रीय औसत का विवरण प्रदान किया जाएगा। जिला, राष्ट्रीय और राज्य के औसत से, समग्र औसत स्कोर के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, संदर्भ वर्ष के रूप में लिया जाएगा। यह डेटा

		स्कूलों के विभिन्न समूहों के लिए प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए सीबीएसई अर्थात द्वारा परिणाम घोषित किए जाएंगे जैसे कि एनवीएस, केवीएस, सरकारी स्कूल, स्वतंत्र स्कूल आदि।
	f	संदर्भ वर्ष में, विद्यालय के छात्रों द्वारा विषय-वार प्राप्त अंकों का व्यापक वितरण, बोर्ड द्वारा स्कूल को उनके लॉग-इन खाते में उपलब्ध कराया जाएगा (संलग्नक- 3)
	g	एक बार रिज़ल्ट कमेटी परीक्षणों / परीक्षाओं के आधार पर अंकों को अंतिम रूप दे देती है, कमेटी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि छात्रों के अंक बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए अंकों के व्यापक वितरण के साथ ठीक पूर्वक संरेखित हों।
	h	इसे सुविधाजनक बनाने और स्कूलों के लिए आसान बनाने के लिए, सीबीएसई एक ऑनलाइन प्रणाली तैयार करेगा जिसमें स्कूल अंक अप-लोड कर सकेंगे और देख सकेंगे कि आवंटित अंक ऐतिहासिक वितरण के अनुरूप हैं या नहीं। यदि कोई मिस-मैच होता है, तो परिणाम समिति को अंकों को, जैसा भी मामला हो, एक सुसंगत और वस्तुनिष्ठ कसौटी के अनुसार संशोधित जिसे रेशनेल डॉकयुमेंट में भी दर्ज़ किया जाएगा।
	i	यदि परिणामों की विषमता के कारण, रिज़ल्ट कमेटी, (स्कूल द्वारा) दिए गए अंकों को बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये गए अंको के वितरण में अंकों के अनुरूप नहीं पाती है, तो कक्षा IX और / या अन्य आवधिक मूल्यांकन जिसमें परियोजना-आधारित मूल्यांकन भी शामिल हैं जो कि छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन का एक मापक है, में छात्रों के प्रदर्शन को वेटेज देने का निर्णय लिया जा सकता है।
	j	मॉडरेशन के लिए दूसरा हवाला संदर्भ वर्ष की बोर्ड परीक्षाओं में स्कूल द्वारा प्राप्त किए औसत अंक होंगे। जैसा कि पहले बताया गया है, 2021 में स्कूल द्वारा मूल्यांकन किए गए विषय-वार अंक, संदर्भ वर्ष में विषय के अंकों की ±2 की सीमा के भीतर होने चाहिए। हालांकि, 2021 के सभी 5 मुख्य विषयों के औसत अंक, संदर्भ वर्ष में औसत अंकों से अधिक नहीं होने चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि संदर्भ वर्ष में गणित और विज्ञान में प्राप्त औसत अंक 62 और 66 थे, तो 2021 में गणित में औसत 62 ± 2 की सीमा में अर्थात 60 से 64 अंकों तक और विज्ञान के लिए 66 ± 2 अंकों की सीमा में होना चाहिए। यद्यपि विषय-वार घट-बढ़ की अनुमति है फी भी 5 मुख्य विषयों के लिए औसत संदर्भ वर्ष के औसत से अधिक नहीं होना चाहिए, अर्थात यदि यह 65 अंक था, तो 2021 में सभी 5 विषयों के औसत अंक 65 से अधिक नहीं होने चाहिए। ।
	k	ये दोनों चेक ऑनलाइन सिस्टम में उपलब्ध होंगे, और जब अप-लोड किए गए स्कूल-आधारित मूल्यांकन अंक बोर्ड की नीति और निर्देशों के अनुरूप होंगे, स्कूल बोर्ड के पोर्टल पर अंकों को फाइनलाइज कर पाएगा। यदि आबंटित अंक बोर्ड की नीति के अनुरूप नहीं हैं, तो स्कूल बोर्ड के पोर्टल पर अंक अप-लोड नहीं कर पाएंगे।
14		उपरोक्त प्रक्रिया को यह ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि स्कूल के प्रधानाचार्य और शिक्षक आंतरिक परीक्षण/परीक्षा में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर छात्र का आकलन करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में हैं। उनसे छात्रों के निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन की अपेक्षा की जाती है और ऐसा करने के लिए उन्हें स्वायत्तता और चुनने का अधिकार दिया गया है। फिर भी स्कूल के स्तर पर मूल्यांकन प्रक्रियाओं में विविधताओं का ध्यान रखने के लिए, अंकों के मॉडरेशन की प्रक्रिया के माध्यम से स्कूलों में स्कोर को मानकीकृत करने की आवश्यकता है। निष्पक्षता के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवंटित अंक तुलना में सही हैं और किसी भी छात्र को स्कूल द्वारा उपयोग की

	जाने वाली मूल्यांकन की प्रक्रिया के कारण अनुचित लाभ नहीं मिल रहा है और ना ही उसके अंकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
15	**रिकॉर्ड्स की सुरक्षा** सभी स्कूल, समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ छात्रों के दस्तावेज़ों को रेशनेल डॉक्यूमेंट सहित सील करेंगे और इन्हें सत्यापन के लिए स्कूल के प्रिंसिपल की सुरक्षित हिरासत में रखा जाएगा।
16	**सी.बी.एस.ई. द्वारा अभिलेखों की जांच** सीबीएसई अप-लोड किए गए अंकों को आवंटित करने की प्रक्रिया तथा दस्तावेजों की पुष्टि करने के लिए एक टीम का गठन कर सकता है। स्कूलों द्वारा अप-लोड किए गए डेटा के आधार पर सीबीएसई द्वारा जांच की जाएगी और डेटा-विश्लेषण के आधार पर निर्धारित की गए सभी स्कूलों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अपना रिकॉर्ड जमा करने के लिए कहा जाएगा और इन दस्तावेजों की सीबीएसई द्वारा नियुक्त किए गए विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा जांच की जाएगी। ।
17	**उल्लंघन करने पर कार्रवाई** ऐसे मामलों में जहां स्कूल जानबूझकर ऐसे क्रिया-कलापों में लिप्त होता है जो सटीक, निष्पक्ष और मूल्यांकन के वस्तुनिष्ठ उद्देश्य के अनुरूप नहीं हैं, सी॰बी॰एस॰ई॰ के पास यह अधिकार है कि: (a) संबद्धता समाप्त करने कि कार्यवाही शुरू करे और/या (b) स्कूल पर वित्तीय जुर्माना लगाए या (c) तब तक स्कूल का दसवीं कक्षा का परिणाम घोषित न करे जब तक यह बोर्ड की नीति के अनुरूप ना हो।
18	**अप-लोड होने पर डेटा फाइनल होना** स्कूल द्वारा भरे जाने पर आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन दोनों के आंकड़ों को अंतिम माना जाएगा। गलत प्रविष्टि या किसी भी प्रकार की गलती के कारण अंकों के सुधार के लिए कोई अनुरोध मान्य नहीं होगा। इसलिए, स्कूल द्वारा सभी प्रकार के अंक अपलोड करते समय उचित सावधानी बरती जानी चाहिए।
19	**प्रत्येक मूल्यांकन में अनुपस्थित उम्मीदवार** यदि कोई उम्मीदवार स्कूल द्वारा किए गए किसी भी आकलन में उपस्थित नहीं हुआ है, तो स्कूल ऐसे छात्रों का ऑन-लाइन/ऑफ-लाइन अथवा दूरभाष द्वारा एकल आंकलन कर सकता है और प्रदत्त अंकों को प्रमाणित करने दस्तावेजी साक्ष्य रिकॉर्ड में रखेगा।
20	**दिव्याङ्ग उम्मीदवार** यदि स्कूल द्वारा आयोजित किसी भी आकलन में बेंचमार्क विकलांगता वाला कोई छात्र उपस्थित नहीं हुआ है तो स्कूल मूल्यांकन के लिए सत्र के दौरान ऑफ़-लाइन/ऑन-लाइन मूल्यांकन के सतह पर ऐसे उम्मीदवारों द्वारा की गई अन्य गतिविधियों जैसे पोर्टफोलियो, प्रस्तुति, परियोजना, प्रश्नोत्तरी, मौखिक परीक्षा आदि पर विचार कर सकता और दस्तावेजी साक्ष्य का रिकॉर्ड रख सकता है।
21	**पाँच विषयों से अधिक विषयों का परिणाम** यदि एक छात्र ने 5 प्रमुख विषयों के रूप में अथवा इन 5 के साथ अतिरिक्त विषय के रूप में अन्य विषयों को चुना है जैसे कि पेंटिंग, संगीत आदि तो इन विषयों में अधिकतम अंक वाले 3 विषयों के अंकों का औसत प्रदान किया जाएगा। यदि इन अतिरिक्त विषयों के अधिकतम अंक 80 से भिन्न हैं तो अंको को अधिकतम अंको के अनुसार बादल कर प्रदान किया जाएगा। अंकों की गणना करते समय,

	विषय को आवंटित अधिकतम अंक को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अधिकतम अंकों का विवरण https://www.cbse.gov.in/newsite/attach/letter%20for%20schools%20framework-merged.pdf (पेज 169 से 172) पर देखा जा सकता है।
22	**ग्रेस मार्क्स** सीबीएसई अप-लोड किए गए थेओरी और आंतरिक मूल्यांकन के अंकों के आधार पर परिणाम की गणना करेगा। परिणाम की गणना के समय, बोर्ड द्वारा ग्रेस अंक देने की नीति भी उत्तीर्ण होने का मान-दंड पूरा ना कर पाने वाले उम्मीदवारों पर लागू की जाएगी।
23	**कक्षा-10 परीक्षा में उत्तीर्ण होने की बोर्ड की नीति** बोर्ड द्वारा ग्रेस अंक लगाने के पश्चात भी यदि कोई छात्र उत्तीर्ण नहीं होता है तो उसे "आवश्यक रिपीट" या "कम्पार्टमेंट" श्रेणी में रखा जाएगा।
24	**कम्पार्टमेंट परीक्षाओं का आयोजन** परिणाम की घोषणा के बाद स्कूल सीबीएसई द्वारा प्रदान किए गए नमूना प्रश्न पत्रों के आधार पर एक वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफ़लाइन/ऑनलाइन कम्पार्टमेंट परीक्षा आयोजित करेगा। मूल्यांकन के बाद, स्कूल परिणाम घोषित किए जाने हेतु सीबीएसई पोर्टल पर अंक अप-लोड करेगा।
25	**कक्षा- XI में पढ़ाई जारी रखने की अनुमति** यदि छात्र उत्तीर्ण होने के मानदंड को पूरा नहीं कर पाता है तब भी सीबीएसई द्वारा कम्पार्टमेंट परीक्षा के परिणाम की घोषणा तक उसे कक्षा XI में पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी जा सकती है।
26	**उत्तर पुस्तिका के सत्यापन/ फोटोकॉपी प्रदान करने/पुनर्मूल्यांकन की नीति** क्योंकि मूल्यांकन स्कूलों द्वारा ही किया गया है और उत्तर पुस्तिकाओं को स्कूल द्वारा छात्रों को दिखाया दिया गया है या उन्हे सौंप दिया गया है इस कारण से अंकों के सत्यापन की प्रक्रिया, फोटोकॉपी प्रदान करना और पुनर्मूल्यांकन योजना सत्र 2020-2021 के लिए लागू नहीं होगी।
27	**कक्षा- X गणित (बेसिक) के बाद कक्षा- XI में गणित** यदि किसी छात्र ने कक्षा-X में गणित बेसिक (241) को चुना था तो Https://www.cbse.gov.in/newsite/attach/UPLOAD_NOTIFICATION_06.08.2020.pdf पर उपलब्ध परिपत्र संख्या-मुद्रण / मुद्रण / 2020 दिनांक 06.08.2020 के क्रम में कक्षा-XI में गणित (041) के विषय की अनुमति को इस सत्र के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। उपरोक्त परिपत्र की अन्य सभी शर्तें समान रहेंगी।
28	**गतिविधियों की अनुसूची** परिणाम संकलन तथा घोषित करने हेतु दी गई समय-सीमा का पालन स्कूलों द्वारा किया जाना है। अनुबंध- 4 देखा जा सकता है।
29	**स्कूलों को दी जाने वाली सहायता** इस नीति के सफल कार्यान्वयन के लिए सीबीएसई स्कूलों को निम्नलिखित सहायता प्रदान करेगा: (a) सीबीएसई पॉलिसी को विवरण में समझाने के लिए एक वेबिनार आयोजित करेगा। जल्द ही शेड्यूल भेजा जाएगा (b) सामान्य-प्रश्न वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे।

	(c) सीबीएसई विद्यालय-वार संदर्भ वर्ष के अंकों का एक ऑनलाइन विवरण प्रदान करेगा और साथ ही यह पुष्टि करने का प्रावधान करेगा कि मूल्यांकन बोर्ड की पॉलिसी के अनुसार है या नहीं। (d) किसी भी अवलोकन या स्पष्टीकरण के मामले में, स्कूल अपने प्रश्न अपने सिटी कोऑर्डिनेटर को भेज सकते हैं। सामान्य प्रश्न सिटी कोऑर्डिनेटर द्वारा सीबीएसई को ईमेल आईडी class-10-result@cbseshiksha.in पर भेजे जाएंगे। सीबीएसई सामान्य-प्रश्न में सभी प्रश्नों का उत्तर देगा, जिन्हें दूसरों के लाभ के लिए वेबसाइट पर होस्ट किया जाएगा। सिटी कोऑर्डिनेटर स्कूलों के साथ नियमित संपर्क में रहेंगे और उन्हें ईमेल आईडी के बारे में भी सूचित करेंगे जिस पर स्कूल उनके साथ संवाद करेंगे।
30	**कक्षा- XI में स्ट्रीम** बोर्ड की पाठ्यक्रम की योजना के अनुसार, छात्रों को किसी भी स्ट्रीमिंग के बिना विषयों के किसी भी संयोजन की पेशकश करने की अनुमति है, इसलिए, स्कूलों को भी उसी का पालन करना चाहिए।
31	**निजी / पत्राचार / दूसरा मौका कम्पार्टमेंट आदि के लिए नीति** निजी, पत्राचार और दूसरा मौका कम्पार्टमेंट के उम्मीदवारों के लिए एक अलग मूल्यांकन योजना जल्द ही घोषित की जाएगी।

सभी स्कूलों और समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे नीति को ध्यान से पढ़ें और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें।

(डॉ संयम भारद्वाज)

परीक्षा नियंत्रण

संलग्नक-1

समिति के संघटन के लिए नियम, उसकी भूमिका और दायित्व

समिति के संघटन के लिए नियम:

परिणाम को तैयार करने के लिए रिज़ल्ट कमेटी का संघटन निम्नानुसार होगा:

1	स्कूल के प्रधानाचार्य जो कि परिणाम समिति के अध्यक्ष होंगे।
2	विषय को पढ़ाने वाले स्कूल के पांच शिक्षक जो छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन से अच्छी तरह से वाकिफ हों। ये शिक्षक गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और दो भाषाओं के विषयों से होंगे।
3	पड़ोसी स्कूलों के दो शिक्षक जिन्हें बाहरी सदस्यों के रूप में परिणाम समिति के अध्यक्ष द्वारा चुना जाएगा। शिक्षकों का चयन करते समय, परिणाम की निष्पक्षता के लिए निम्नलिखित को सुनिश्चित किया जाना चाहिए: (a) शिक्षक सीबीएसई से संबद्ध आस-पास के स्कूल में दसवीं कक्षा में पढ़ा रहे हों। (b) दो स्कूलों के बीच समिति के सदस्यों के रूप में शिक्षकों की कोई अदला-बदली नहीं होनी चाहिए। (c) शिक्षक समान प्रबंधन वाले स्कूलों से नहीं होने चाहिए (d) शिक्षक उस स्कूल से नहीं होना चाहिए जहाँ इस स्कूल के प्रधानाचार्य प्रबंधन / स्कूल समिति में सह-चयनित सदस्य है। (e) कोई अन्य संबंध जो स्कूल / छात्र के परिणाम को प्रभावित कर सकता है
4	समिति सदस्यों के बच्चे/आश्रित इसी स्कूल से परीक्षा में नहीं बैठ रहे होने चाहिए।
5	सीबीएसई भी समिति में दो बाहरी सदस्यों को भी नियुक्त कर सकता है।

समिति की भूमिका और दायित्व

रिज़ल्ट कमेटी की भूमिका और दायित्व निम्नलिखित हैं: -

1	वैश्विक महामारी की स्थिति में समिति की भूमिका सटीक और निष्पक्ष परिणाम तैयार करने के लिए है।
2	समिति अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों के साथ तभी न्याय कर सकती है जब सदस्य नीति से अच्छी तरह से परिचित हों। इसलिए, सभी समिति सदस्यों को विस्तृत नीति से परिचित होना चाहिए। उन्हें एक आम समझ बनाने के लिए आपस में विचार-विमर्श भी कर लेना चाहिए।
3	संदेह को स्पष्ट करने की आवश्यकता होने पर कोई भी समिति किसी अन्य समिति के साथ चर्चा कर सकती है।
4	एक बार समिति के नीति से अच्छी तरह से परिचित हो जाने के बाद, स्कूल में जमीनी वास्तविकताओं का जायजा लेंगे और मूल्यांकन के लिए औचित्य की रूपरेखा तैयार करेंगे। इसके बाद, वे कार्यों को पूरा करने के लिए योजना को अंतिम रूप दे सकते हैं।
5	सीबीएसई द्वारा दिए गए शेड्यूल के आधार पर कमेटी अपना शेड्यूल बना सकती है।
6	आवश्यक होने पर, अन्य विषय के शिक्षकों की राय भी समिति ली जा सकती है।
7	समिति द्वारा प्रतिदिन की कार्यवाही रेशनेल डॉकयुमेंट में दर्ज की जानी चाहिए।
8	समिति सभी कार्यवाही को गोपनीय रखेगी।
9	समिति के अध्यक्ष डेटा के सही अपलोडिंग के लिए संपूर्ण आवश्यक बुनियादी ढाँचा, सहायता और अन्य व्यवस्था करेंगे।

10	समिति के बाहरी सदस्य जन-प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परिणाम निष्पक्ष रूप से तैयार किया जा रहा है। वे सभी गतिविधियों और निर्णयों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे।
कम शब्दों में, छात्रों के निष्पक्ष और निष्पक्ष परिणाम तैयार करना समिति की पूर्ण जिम्मेदारी है। इसलिए, समिति जमीनी हकीकत को देखते हुए लिखित में कोई भी न्यायसंगत निर्णय लेने के लिए पूरी तरह सक्षम है।	

संलग्नक-**2**

RATIONALE DOCUMENT/रेशनेल डॉकयुमेंट

Class-X/कक्षा-X

A. स्कूल का विवरण:

स्कूल का नाम तथा पता	
स्कूल कोड	
संबद्धता नंबर	

B. ली गई परीक्षण/परीक्षा

S.No.	NAME OF TEST/EXAMINATION*	NUMBER OF TIMES CONDUCTED THE TEST/EXAM	TIME DURATION OF EACH TEST/EXAM	WEIGHTAGE MAX MARKS
1.	UNIT TEST/PERIODIC TEST			**10**
2.	MID-TERM/HALF YEARLY TEST			**30**
3.	PRE-BOARD EXAMINATION			**40**

C. यदि एक से अधिक परीक्षा आयोजित की गई है तो अंकों का आधार

S. No.	NAME OF TEST/EXAMINATION	BASIS FOR ASSESSMENT BEST PERFORMANCE / AVERAGE OR WEIGHTED AVERAGE
1.	UNIT TEST/PERIODIC TEST	
2.	MID-TERM / HALF YEARLY TEST	
3.	PRE-BOARD EXAMINATION	

D. स्कूल / परीक्षा के सभी श्रेणियों में शामिल नहीं हैं, अलग-अलग परीक्षाओं / परीक्षाओं के लिए छूट दी गई हैं:

E. केस स्टूडेंट (एस) के पास जो परीक्षा में लिया गया है, उस परीक्षा में आने वाले सभी छात्रों को परीक्षा में शामिल नहीं किया गया है:

F. इस मामले में F. में शामिल होने का अधिकार नहीं है, जो किसी व्यक्ति के लिए बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए मार्क और एवरेज के वितरण को प्राप्त नहीं करता है, जो भारत में चिह्नित किया जाना चाहिए और घोषित किए गए प्रक्रियाओं को चिह्नित किया जाएगा।

G. परिणाम समिति की अंतिम बैठक की प्रक्रिया: -

इस मामले का परिणाम यह है कि कुलसचिव इस पत्र को लेटर और स्पिरिट में बोर्ड गाइड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं और छात्रों के लिए ए.एन., संयुक्त, FAIR और ट्रांसपेरेंट मैनर में काम किया जाता है।

INTERNAL MEMBERS:-

1) NAME/नाम _____ SIGNATURE/हस्ताक्षर _____

2) NAME/नाम _____ SIGNATURE/हस्ताक्षर _____

3) NAME/नाम _____ SIGNATURE/हस्ताक्षर _____

4) NAME/नाम _____ SIGNATURE/हस्ताक्षर _____

5) NAME/नाम _____ SIGNATURE/हस्ताक्षर _____

EXTERNAL MEMBERS:-

1) NAME/नाम _____ DESIGNATION/पद _____

SCHOOL NAME/स्कूल का नाम _____ SIGNATURE//हस्ताक्षर _____

2) NAME/नाम _____ DESIGNATION/पद _____

SCHOOL NAME/स्कूल का नाम _____ SIGNATURE//हस्ताक्षर _____

प्रधानाचार्य का नाम _____SIGNATURE/हस्ताक्षर _____

संलग्नक-3

अंकों की आंतरिक तौर पर मॉडरेशन

(केवल एक उदाहरण के तौर पर)

बोर्ड स्कूल के विषय विशेष के लिए, निम्नलिखित प्रारूप में छात्रों के लिए अंकों का व्यापक वितरण प्रदान करेगा। अंकों का वितरण संदर्भ वर्ष में कक्षा X बोर्ड परीक्षा में विषय के प्रदर्शन के आधार पर दिया जाएगा। स्कूल आधारित मूल्यांकन के लिए स्कूल को छात्रों के ग्रेड देने में व्यापक पैटर्न का पालन करना होगा।

SUBJECT: MATHEMATICS CLASS X - 2020

Marks Range	**<26**	**≥26 to 40**	**>40 to 50**	**>50 to 60**	**>60 to 70**	**>70 to 80**
Percentage of total students having marks in the particular range.	**1%**	**14%**	**25%**	**10%**	**20%**	**30%**

गणित में औसत अंक = 62

संदर्भ वर्ष में 5 मुख्य विषयों में समग्र औसत=66

यदि स्कूल का अंकों का वितरण उपरोक्तानुसार है तथा 2021 परीक्षाओं के लिए 200 छात्रों का मूल्यांकन किया जाना है, तो स्कूल के छात्रों का मूल्यांकन मोटे तौर पर निम्नलिखित तालिका के अंकों की सीमा में वितरित किया जाना चाहिए:

SUBJECT: MATHEMATICS CLASS X - 2021

NUMBER OF STUDENTS = 200

Marks Range	**<26**	**≥26 to 40**	**>40 to 50**	**>50 to 60**	**>60 to 70**	**>70 to 80**
Number of Students	1% 1% of 200 = **2**	14% 14% of 200 = **28**	25% 25% of 200 = **50**	10% 10% of 200 = **20**	20% 20% of 200 = **40**	30% 30% of 200 = **60**

गणित में शामिल किए गए अंक = 62 ± 2 अंक।

5 मुख्य विषयों में अंकों का समग्र औसत = ≤ 66

स्कूल को छात्रों के आकलन के लिए पर्याप्त छूट प्राप्त है। फिर भी अंकों का समग्र वितरण मोटे तौर पर उपरोक्त सीमाओं में रहना चाहिए। बोर्ड परीक्षा में संदर्भ वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर स्कूल के लिए गणित के लिए इंगित औसत अंक 62 हैं। स्कूल को यह सुनिश्चित करना होगा कि गणित के लिए 2021 के लिए औसत मूल्यांकन किए गए अंक ± 2 अंकों की सीमा के भीतर हों यानी 60 से 64 अंकों के बीच। इसके साथ ही स्कूल द्वारा मूल्यांकन किए गए सभी विषयों के लिए कुल औसत 66 अंकों से अधिक नहीं होना चाहिए, जो कि संदर्भ वर्ष में स्कूल का समग्र औसत है। इस प्रकार, स्कूल विषय की औसत से 2 अंकों की भिन्नता कर सकता है परंतु 5 मुख्य विषयों के लिए समग्र औसत संदर्भ वर्ष के औसत से अधिक नहीं होगा।

संलग्नक-4

Sl. No.	Activity	Last Date*
1.	स्कूल द्वारा परिणाम समिति का गठन	05th May, 2021
2.	पिछले बोर्ड परीक्षा के अनुसार विषयवार, स्कूलवार अंकों के वितरण का प्रावधान	10th May, 2021
3.	रेशनेल डॉक्यूमेंट को अंतिम रूप देना	10th May, 2021
4.	मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन यदि कोई बची हो तो	15th May, 2021
5.	अंक अपलोड करने के लिए पोर्टल उपलब्ध होना	20th May, 2021
6.	स्कूलों द्वारा परिणाम को अंतिम रूप देना	25th May, 2021
7.	स्कूलों द्वारा अंकों की जाँच और मॉडरेशन	28th May, 2021
8.	सीबीएसई को अंकों का प्रस्तुतीकरण	5th June, 2021
9.	आंतरिक मूल्यांकन के अंकों का प्रस्तुतिकरण (20 में से)	11th June, 2021
10.	सीबीएसई द्वारा परिणाम की घोषणा	20th June, 2021

* स्कूलों को किसी गतिविधि को पूरा करने के लिए अंतिम तिथि का इंतजार नहीं करना चाहिए। कक्षा-X में छात्रों की संख्या के आधार पर, वे पहले भी गतिविधि पूरी कर सकते हैं। कृपया ध्यान दिया जाए कि किसी भी स्थिति में अंतिम तिथियां नहीं बढ़ाई जाएंगी।